



प्रेस नोट

दिनांक 17.09.2025

थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/ कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.09.2025 को थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अभिषेक गुप्ता पुत्र जयराम गुप्ता को एक अदद अवैध तमंचा/एक अदद जिन्दा कारतूस के साथ तपोभूमि मंदिर के पास केन्द्रिय विद्यालय मार्ग पर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 283/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत करते हुए मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभिषेक गुप्ता पुत्र जयराम गुप्ता उम्र करीब 24 वर्ष निवासी वार्ड नं0 18 नई बस्ती गुटखा फैक्ट्री कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण:

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 सुरेन्द्र प्रसाद यादव
- 2.का0 शिवशंकर झा

